

राजस्थान सरकार
सैनिक कल्याण विभाग

क्रमांक प.7(1)सै.क./2024

जयपुर, दिनांक 29/11/24

जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति

राजस्थान में जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों के रिक्त पदों पर सावधि सेवा के आधार पर नियुक्ति एवं पैनल बनाये जाने हेतु सशस्त्र सेनाओं के कर्नल/ले० कर्नल/मेजर रैंक के समकक्ष सेवानिवृत्त अधिकारी (जिन्हें पूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त है) तथा सेवारत सैन्य अधिकारी जो आवेदन की अन्तिम तिथि के एक वर्ष के अन्दर सैन्य सेवाओं से सेवानिवृत्त होने वाले हों, से पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 16.10.2024 के क्रम में प्रार्थना पत्र संलग्न प्रारूप में आमंत्रित किये जाते हैं।

सेवा की शर्तें निम्न प्रकार होगी :-

1. आवेदन हेतु अधिकतम आयु 01.01.2024 को 59 वर्ष है।
2. उम्मीदवार का पूर्व सैनिक श्रेणी (quota) के तहत डी.जी.आर या ई.सी.एच.एस या आर.एस.बी./जेड.एस.बी या किसी अन्य सरकारी रोजगार से पूर्व सैनिक पुनर्वास या अन्य कोई रोजगार लाभ लिया हुआ नहीं होना चाहिए। इसके लिए आवेदक द्वारा संलग्न फॉर्मेट (अनुसूची) के अनुसार वचनबद्धता पत्र (undertaking) प्रस्तुत किया जावेगा।
3. आवेदक राजस्थान के मूल निवासी हों तथा राजस्थान के रीति रिवाजों से परिचित हो और जिन्हें एक या इससे अधिक राजस्थान की बोलियों का ज्ञान हो।
4. चयनित होने के उपरांत नियुक्त अधिकारियों को राजस्थान सरकार के नियमानुसार वेतन, मकान किराया भत्ता तथा यात्रा भत्ता देय होंगे।
5. सेवा संतोषप्रद होने की स्थिति में सावधि सेवा की अवधि उक्त पद पर अधिकतम 05 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए होगी, उसके पश्चात सेवा में नहीं रखा जावेगा।
6. सेवा के दौरान अधिकारी की सेवाएं संतोषजनक नहीं होने पर सावधि सेवा अवधि एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है।
7. सामान्यतया इनका पदस्थापन जिले में नहीं किया जावेगा।

इच्छुक आवेदक प्रार्थना पत्र गय प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की फोटो प्रति के साथ कक्ष संख्या 5111, मुख्य भवन, प्रथम तल, शासन सचिवालय, जयपुर राजस्थान में दिनांक 24.12.2024 को साँय 5.00 बजे तक व्यक्तिगत/पोस्ट द्वारा भिजवायें अथवा ई मेल soskv2022@gmail-com पर भी प्रार्थना पत्र भिजवाये जा सकते हैं।

नोट : दैनिक भास्कर एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के राजस्थान संस्करण में दिनांक 11.06.2024 को प्रकाशित विज्ञप्ति क्रमांक प 7(1) सै.क./2024 दिनांक 06.06.2024 के क्रम में प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त किये जाते हैं।

शासन वरिष्ठ उप सचिव

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र

स्वयं
सत्यापित
फोटो

1. सर्विस/आई.सी. नम्बर, रैंक एवं नाम मय डेकोरेशन
2. सेवानिवृत्त/सेवारत (मय यूनिट/मुख्यालय का विवरण)
3. पिता/पति का नाम
4. स्थाई निवास का पूर्ण पता
5. जन्मतिथि
6. शैक्षणिक योग्यताएं (सैकण्डरी एवं उच्च शिक्षा तक) मय शैक्षणिक संस्थाओं का विवरण एवं प्रतिशत/ग्रेड
7. सैन्य सेवा का संक्षिप्त विवरण (महत्वपूर्ण उपलब्धियां, नियुक्तियां, वीरता/विशिष्ट सेवा अवार्ड, महत्वपूर्ण सैन्य कोर्स (मय ग्रेडिंग)
8. कमीशन का प्रकार एवं कमीशन प्राप्त करने की तिथि
9. सशस्त्र सेना से सेवानिवृत्ति या सेवा छोड़ने की तिथि एवं कारण
10. सेवारत अधिकारियों की सेवानिवृत्ति तिथि एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र
11. मेडिकल बोर्ड के अनुसार मेडिकल कटेगरी (यदि मेडिकल कटेगरी निम्न रही हो तो मेडिकल बोर्ड द्वारा आरोपित प्रतिबन्ध का विवरण)
12. डाक का वर्तमान पता, मोबाईल नम्बर एवं ई मेल आईडी
13. राजस्थान का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र संबंधित उपखण्ड दण्डनायक (एस.डी. एम.) द्वारा जारी किया हुआ प्रार्थना पत्र के साथ अवश्य संलग्न करें

नोट : वचनबद्धता (undertaking) पत्र, विभिन्न प्रमाण पत्र/दस्तावेज (बायोडाटा, पीपीओ, अधिकारी सेवा विवरण पुस्तिका इत्यादि) की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर प्रार्थी

Appendix

**CERIFICATE OF UNDERTAKING FOR APPOINTMENT AS
ZILA SAINIK KALYAN ADHIKARI, GOVERNMENT OF RAJASTHAN**

1. I, No _____ Rank _____ Name _____ am willing to appear for the interview to be held by the Govt of Rajasthan for filling up the post of Zila Sainik Kalyan Adhikari.
2. I hereby certify that I have neither availed any ESM re-settlement benefit nor am I employed with DGR/ECHS/any of the Central/State Govt, Agency under ESM quota. I have not benefited/benefitting from DGR sponsored scheme. At present, I am neither employed with RSB/ZSB in any State/UT nor have been employed earlier.
3. I have/have not applied to DGR and/or ECHS for _____ (fill Re-settlement Scheme if applied for).
4. I understand that if I am selected for the post/appointment of Zila Sainik Kalyan Adhikari, I cannot and will not, thereafter, avail any scheme/employment sponsored by DGR or ECHS or apply for employment in RSB/ZSB of any State/UT in future.
5. Further, if there is any falsification or incorrect information found at any stage related to any documents/statement(s), my candidature would be treated as cancelled.

Place : _____
Date : _____

Signature : _____
Service / IC No : _____
Rank: _____
Name : _____